

नगरपालिकाको कार्यालय, इलाहाबाद ।

आदेश संख्या ५२ तारीख २०१३ अन्तर्गत धारा १५३ उपखण्ड (वि) उप

ग्राम मन्दरी परगना व तहसील नगर जिला इलाहाबाद ।

श्री श्री राम सिंह महाविद्यालय मन्दरी प्रति ग्राम मन्दरी
द्वारा प्रत्यक्ष बंग बसाइस सिद्ध

७९९९ नम्वर १५० २८/५/११

श्री श्री राम सिंह महाविद्यालय मन्दरी द्वारा प्रत्यक्ष
नगर इलाहाबाद नै ग्राम मन्दरी परगना व तहसील नगर जिला
की आदेश ३५० रकबा १७९९ वर्गमीटर एवं आदेश ३३६ रकबा २६०५
अतिरिक्त घोषित करने हेतु यह आदेश बाधकार किया है ।

इस पर तहसील से आदेश प्राप्त की गई । नगर तहसील
तहसील नगर की आदेश दिनांक २८-५-११ जिसे तहसीलद्वारा नगर द्वारा
२-५-११ को अज्ञात रित्त किया गया है पञ्जावली पर उपलब्ध है ।

यैने पञ्जावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया ।
परगना व तहसील नगर की उदरणा उत्तानी देखकर १५१५-१५२०५० के आ
२३ के आदेश ३५० रकबा १७७२०५० के आदेश आग यानी ७९९ वर्गमीटर
इसी उत्तानी के आदेश संख्या १२७ के आदेश ३३६ रकबा ०-५२१० के आ
२६०५ वर्गमीटर पर आदेशक पक्ष का नाम अतीर संक्रामणीय भूमिपर के
तहसीलद्वारा नगर की आदेशानुसार प्रत्यक्ष भूमिखर्च विफल्य के उपयोग
है जो विगत ३ वर्षों से अधिक समय से अतिरिक्त उपयोग में है । तहसील
स्पष्ट है कि इस आदेश पर अधिक कार्य नहीं हो रहा है । अतः
आदेशित किए जाने में कोई विधिक अडिचन नहीं प्रतीत होती है ।

आदेश

आदेशित विवेचना के आधार पर ग्राम मन्दरी परगना व
नगर की उत्तानी १५१५-१५२० के आदेश संख्या २३ के आदेश ३५० रकबा
के आदेश आग यानी ७९९ वर्गमीटर एवं इसी उत्तानी के आदेश संख्या १२७
३३६ रकबा ०-५२१० के आदेश आग यानी २६०५ वर्गमीटर जिस पर आदेश
नाम अतीर संक्रामणीय भूमिपर का है को अतिरिक्त घोषित किया जाता
आदेश से किसी तहसीलद्वारा के आदेश के सेन्सस एवं सिधार्त विशेष पर
स्वातंत्र्य पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस आदेश की प्र
निरास नगर की भी जाय । तदनुसार परगना अगल दरान्त जारी की
आदेशक आदेशों की पञ्जावली बाधित करार हो ।

१३-५-१३


तहसीलदार

सत्य प्रतिलिपि

२०१३

तहसीलदार

श्री मन्त्री श्री राम सिंह
उप जिलाधिकारी नगर
इलाहाबाद ।



श्री मन्त्री
नगर

संवेतना समिति
९८/१ लिडिल रोड जवाहराजन
प्रयागराज